



न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प-भोपाल म.प्र.

प्र०कं०...../निगरानी/15-16

01. दिलीप जायसवाल आ. श्री लक्ष्मीनारायण
जायसवाल निवासी-प्लॉट नं. 130, सेक्टर "सी"
शाहपुरा भोपाल.
02. शिवगोपाल सूर्यवंशी आ. श्री सवईराम
सूर्यवंशी निवासी-ई-6/5-सी, चार इमली भोपाल.
03. श्रीमती पुष्पा चौकसे पत्नी श्री एस.एस.
चौकसे निवासी-प्लेट नं. 105, आनंद मंगलम
अपार्टमेन्ट विजय नगर लालघाटी भोपाल.
04. चंद्रशेखर आ. श्री लक्ष्मीनारायण
निवासी-ई-6/5-सी, चार इमली भोपाल.
05. संतोष आ. श्री रामलखन
निवासी-प्लेट नं. 105, आनंद मंगलम
अपार्टमेन्ट विजय नगर लालघाटी भोपाल.
06. श्यामसुन्दर आ. श्री मोहनलाल
निवासी-प्लेट नं. 105, आनंद मंगलम
अपार्टमेन्ट विजय नगर लालघाटी भोपाल.
07. श्रीमती रश्मि जायसवाल पत्नी
श्री चन्द्रशेखर निवासी ई-6/5-सी,
चार इमली भोपाल.

निग- १/२६-पडर 16

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

01. देवीप्रसाद
02. अनोखीलाल
03. जयराम
04. रमेश कं. 1 से 4 पुत्रगण स्व.
श्री गुट्टीलाल समस्त निवासी-ग्राम
बैरागढ चीचली तहसील कोलार रोड
तहसील हुजूर भोपाल.
05. मांगीलाल आ. स्व. श्री मिट्टूलाल
06. सत्यनारायण
07. थान सिंह
08. शैतान सिंह कं. 5 से 8 पुत्रगण स्व.
श्री सीताराम निवासी ग्राम बैरागढ
चीचली कोलार रोड भोपाल.

निरंतर....2.....

श्री प्रो. 15/3/16
६३/६२
१११ २८६१८
नं ०३२१

२०-१
२९/६
२०/६/१६

09. मेसर्स अनेजा प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा
एस.के. अरोरा पता कार्या 56-58,
कम्यू. सेन्टर ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली
10. श्रीमती जगदीश राय पत्नी श्री ब्रिगेडियर राय
निवासी-बेतवा अपार्टमेंट न्यू मार्केट भोपाल.
11. श्रीमती सुक्रिया अरोरा पत्नी श्री अक्षय
अरोरा व हैसियत पार्टनर अरोरा ऐसोसियेट
पता शालीमार भवन 6, मालवीय नगर भोपाल.
12. श्रीमती आशाबाई पत्नी श्री दिनेश जायसवाल
निवासी- बारा पत्थर जिला-सिवनी म.प्र.
13. सर्वसाधारणरेस्पॉन्डेंस

:: निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् तहसीलदार तहसील हुजूर वृत्त-3 जिला भोपाल द्वारा प्रकरण कं. 24/अ-6-अ/15-16 में पारित अलोच्य आदेश दिनांक 07.05.16 से परिवेदित होकर अंदरम्याद प्रस्तुत की जा रही है :-



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2126-पीबीआर/2016

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

04-07-2016

आवेदकगण अधिवक्ता की ओर से ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-5-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के निराकरण के लिये साक्ष्य आवश्यक है, परन्तु आवेदक बिना साक्ष्य के इसी स्तर पर प्रकरण समाप्त कराना चाहता है, जिसमें कि प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष